न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगोनिया)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 128/2024 जी0सी0एम0एम0 संख्या 2024/266

1. छोटू पुत्र रामा जाति बैरवा निवासी ग्राम चावण्ड़ियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. नन्दू पत्नि रामा जाति बैरवा निवासी ग्राम चावण्ड़ियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. बालूराम पुत्र रामा जाति बैरवा निवासी ग्राम चावण्ड़ियां तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. सुखदेव पुत्र भूरा बैरवा निवासी ग्राम चावण्ड़ियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

उपस्थितः– श्री महावीर गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 30.05.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम चावण्ड़ियां पटवार हल्का चावण्डियां, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एकलसिंघा तहसील भिनाय स्थित खातेदारी भूमि खाता संख्या 83 में दर्ज खसरा संख्या 1615 रकबा 0.04 है0 किस्म बारानी–1 और खसरा संख्या 1616 रकबा 0.34 किस्म बारानी–1 कुल किता 02 कुल रकबा 0.38 प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने–जाने, कृषि उपकरण व प्राप्त उपज फसल को लाने–ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1623/1785 रकबा 0.26 हैक्ट0 किस्म बारानी–1 का वर्षो से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहें है जिस कारण उक्त आराजी पर प्रार्थी को सुखाधिकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। प्रार्थी की भूमि पर आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात से 20 से 25 फीट चौडा रास्ता नियमानुसार शुल्क पर दिलवाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी सं. 1 तथा अप्रार्थी संख्या 02 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय को जरिये नोटिस प्रकरण प्रेषित कर जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 श्री सुखदेव पुत्र भूरा द्वारा पत्रावली में स्वयं उपस्थित होकर, अपनी आराजी खसरा संख्या 1623/1785 में से 15 फीट का रास्ता दिये जाने पर अपनी सहमति जवाब जवाब पेश किया गया। साथ ही पत्रावली आदेशिका पर इस बाबत् टिप्पणी भी दर्ज की

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

गई। पैरोकार सरकार ने जवाब मय रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1623/1785 किस्म बारानी–1 में से प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में अप्रार्थी तहसीलदार भिनाय द्वारा रिपोर्ट मय जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत की गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा 15 फीट का रास्ता दिये जाने पर सहमति तथा तहसीलदार भिनाय से जवाब मय मौका रिपोर्ट पेश होने पर प्राप्त जवाब मय मौका रिपोर्ट की एक प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करायी गई तथा पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना–पत्र धारा 251ए रा0का0अधि0 नियत की गई।

पत्रावली में बहस प्रार्थना–पत्र धारा 251ए सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा न्यायालय समक्ष निवेदन किया गया कि ग्राम चावण्ड़िया स्थित खातेदारी भूमि खाता संख्या 83 में दर्ज खसरा संख्या 1615 रकबा 0.04 है0 किस्म बारानी–1 तथा खसरा संख्या 1616 रकबा 0.34 हैक्ट0 किस्म बारानी–1 प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने–जाने, कृषि उपकरण व प्राप्त उपज फसल को लाने–ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1623/1785 रकबा 0.26 हैक्ट0 किस्म बारानी–1 का वर्षो से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहें है जिस कारण उक्त आराजी पर प्रार्थी को सुखाधिकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। प्रार्थी की भूमि पर आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। साथ ही प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता लघुत्तम, सुलभ तथा उपयुक्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजीयात से चाहा गया रास्ता नियमानुसार शुल्क पर दिलवाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 श्री सुखदेव पुत्र भूरा द्वारा अपनी आराजी से 15 फीट का रास्ता दिये जाने पर अपनी सहमति पूर्व में प्रस्तुत की जा चुकि है। दौराने बहस पैरोकार सरकार द्वारा जवाब मय रिपोर्ट अनुसार कथन किये गये। तत्पश्चात पैरोंकार सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1615 रकबा 0.04 है0 किस्म बारानी–1 तथा खसरा संख्या 1616 रकबा 0.34 हैक्ट0 किस्म बारानी–1 में जाने हेतु रास्ता अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी खसरा नं. 1623/1785 किस्म बारानी–1 में से होकर ही जाता है। तहसीलदार भिनाय द्वारा प्रकरण में 39 मीटर लम्बा तथा 4.57 मीटर चौड़ा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जिस पर प्रार्थी द्वारा सहमति प्रकट की गई। पैरोकार सरकार द्वारा आगे निवेदन किया गया कि, प्रार्थी की भूमि पर आने–जाने के लिए मांगा गया रास्ता सबसे निकटतम है, तथा इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। साथ ही प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता उपयुक्त, प्रतिबन्धित श्रेणी का नही होना, तथा अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं होना स्वीकार किया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 251ए रा0का0अधि0 तथा तहसीलदार भिनाय से प्राप्त जवाब मय मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, बहस पत्रावली पर मनन किया

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

CamScanner

गया। चूंकि तहसीलदार भिनाय ने अपने प्रतिवेदन तथा बहस में अवगत कराया है कि यह रास्ता वर्षो से चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि पर आने–जाने के लिए मांगा गया रास्ता सबसे निकटतम है, तथा इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। साथ ही प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता उपयुक्त तथा अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः बाद अवलोकन तथा मनन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 251ए अनुतोष होने से स्वीकार किया जाता है। चूंकि तहसीलदार भिनाय ने अपने प्रतिवेदन में अवगत कराया है कि यह रास्ता पुश्तैनी चला आ रहा है इसलिए निर्धारित नियमानुसार रास्ते हेतु आरक्षित की जाने वाली भूमि की दुगुनी लागत कायम करना ही उपयुक्त एवं न्यायोचित पाया जाता है। तहसीलदार भिनाय द्वारा ग्राम चावण्ड़ियां की डी.एल.सी. दर 3,36,000/– रू. प्रति हैक्टेयर बताई गई है। अतः खसरा नं. 1623/1785 में से 178 वर्ग मीटर (39 मीटर लम्बा व 4.57 मीटर चौडा) भूमि रास्ते हेतु आरक्षित भूमि 33.60 रू. प्रति वर्ग मीटर की दुगुनी राशि 11,962/– रू मुकर्रर की जाती हैं। तहसीलदार भिनाय नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 01 खातेदार को मुकर्रर राशि का भुगतान जरिये प्रार्थीगण करावे। प्रार्थीगण खातेदारो के लिए ग्राम चावण्डिया पटवार हल्का चावण्ड़िया, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एकलसिंघा तहसील भिनाय स्थित खातेदारी भूमि खसरा नं. 1623/1785 में से 178 वर्ग मीटर भूमि से, प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1616 तक रास्ता/मार्गाधिकार कायम किये जाने के आदेश पारित किए जाते है तथा तहसीलदार भिनाय को उनके राजस्व नक्शें में आदेश में वर्णित रास्ते की नियमानुसार तरमीम कर इस खसरा नं. का बट्टा नंबर कायम कर खाते सरकार किस्म रास्ते से लगाने के आदेश पारित किए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

CamScanner